कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 679 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 19 अक्टूबर, 2024।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर।

विषयः रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपकी पत्र संख्या 921/12–1 दिनांक 10.10.2024।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति के कम में आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्तियों का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। उक्त आपत्ति के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार "प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण उचित प्रतीत नहीं होता है, वहीं आपके द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है"। तद्कम में आपके द्वारा प्रतिउत्तर में संरेखण 1 को निरस्त करते हुए, संरेखण 2 रोडवेज बस स्टेशन से लगी सामने की ओर की 0.1526 है0 वन भूमि को बसपोर्ट के संचालन हेतु एवं सार्वजनिक हित में अधिक उपयुक्त होने की संस्तुति की गयी है परन्तु प्रस्ताव 0.120 है0 का संलग्न किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय
रामनगर वन प्रभाग
क्र० सं० 2417
पत्रांक सं० 12-1
दि० 22/10/2024

मा०नि०प्र०
आ०आ०अ०

प्र०व०
22/10/2024